

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 खणोली
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खाता सं 2075-78 का नाम शिवपाल दास 276, 270, 271, 272
 गरीब निवेदन है कि राजस्व का बाजोली
 शिवपाल दास 276, 270, 271, 272 का नाम शिवपाल दास है जो राजस्व/पटवारी कार्यालय
 गीरपाल दास टपमान निवा एनएमएन के कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

3/11/21 किमा जागी उचित है

27/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1753
 29/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलु (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खणोली	2075-78	276, 258, 158	शिवपाल 510 एनुमान	शिवपाल 10 एनुमान

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 29/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1722-23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया (शिवपाल 10 एनुमान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी